

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

क्रमा

विपक्षी

श्री डी लाल

मुकदमा

पत्रावली संख्या

6/20

सन्

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पात
सूचनाएँ जारी

S. 324

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय चक्षुका उपस्थित।

प्रकरण का मूलवाद बादगस्त आशुजीयात प्रतिबंधित प्रेमी
की लोका बारिज हो चुका है। जिससे हस्तगत प्रार्थनापत्र
में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः प्रार्थनापत्र उच्च स्तर पर बारिज किया जाता
है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

प्रकरण फ़ैल श्रुता (कि) नम्बर से रद्द है।

ed

(रिया डबी)
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर